बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(बिहार रुरल डेपलपमेन्ट सोसाईटी)

पत्रांक:- 437333 पटना,दिनांक 20/8/2019

ग्रा0वि09(BRDS)-31/2019

प्रेषक,

सी0 पी0 खंडूजा,
आयुक्त मनरेगा ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- **BRDS अंतर्गत नियोजित/कार्यरत कार्यक्रम पदाधिकारियों के वांछित/अर्हक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र सत्यापन के संबंध में।**

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 436529 दिनांक 13.08.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि टंकण भूलवश पत्र का विषय **"BRDS अंतर्गत नियोजित/कार्यरत कार्यक्रम पदाधिकारियों के वांछित/अर्हक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र सत्यापन के संबंध में"** के स्थान पर **"मनरेगा अंतर्गत संविदा पर नियोजित कर्मियों/ पदाधिकारियों का पदवार कोटिवार, स्वीकृत बल, कार्यरत बल तथा रिक्तियों से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में"** टंकित हो गया है।

अत: प्रासंगिक पत्र का विषय **"BRDS अंतर्गत नियोजित/कार्यरत कार्यक्रम पदाधिकारियों के वांछित/अर्हक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र सत्यापन के संबंध में"** पढा जाय । साथ ही प्रासंगिक पत्र की कंडिका (1) के आलोक में वांछित प्रतिवेदन निर्धारित तिथि यथा दिनाक 25.08.2019 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन
20/08

(सी0 पी0 खंडूजा)
आयुक्त मनरेगा

Letter-33

(A)

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(बिहार रुरल डेपलपमेन्ट सोसाईटी)

पत्रांक:- 436529 पटना,दिनांक 13-08-2019

ग्रा0वि09(BRDS)-37/2019

प्रेषक,

सी0 पी0 खंडूजा,
आयुक्त मनरेगा ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- **मनरेगा अंतर्गत संविदा पर नियोजित कर्मियों / पदाधिकारियों का पदवार कोटिवार, स्वीकृत बल, कार्यरत बल तथा रिक्तियों से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि BRDS अंतर्गत विज्ञापन संख्या 1780/2006 दिनांक 06.12.2006 के तहत मनरेगा के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर राज्य के सभी जिलों में संविदा आधारित नियोजन किया गया था । विज्ञापन में निर्धारित वांछित/अर्हक योग्यता संबंधी सभी प्रमाण-पत्र/दस्तावेज उनके नियोजन के प्रथम बार योगदान वाले जिलों में ही संधारित है ।

इस क्रम में विधानमंडलीय ध्यानाकर्षण की सूचना पर सदन में वक्तव्य के उपरांत माननीय मंत्री द्वारा निम्नवत आदेश दिये गये हैं- **"सभी नियोजित एवं कार्यरत कार्यक्रम पदाधिकारियों की वांछित/अर्हक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र प्राप्त कर तीन माह के भीतर संबंधित संस्थान उसकी जाँच कराकर प्रमाण-पत्रों को सत्यापित करा लिया जाय एवं फर्जी प्रमाण-पत्र पाये जाने की स्थिति में संबंधित नियोजित कर्मी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए सरकार द्वारा वेतन मद में उपलब्ध करायी गयी राशि की वसुली हेतु कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।"**

उपर्युक्त आदेश के आलोक में निदेश दिया जाता है कि-

1. नियोजन के क्रम में आपके जिला में प्रथम बार योगदान करने वाले कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा समर्पित प्रमाण-पत्रों के आधार पर संलग्न विहित-प्रपत्र के कॉलम 01 से 07 तक की सूचना दिनांक 25.08.2019 तक विवरण उपलब्ध कराया जाय ।
2. आपके जिला अंतर्गत नियोजन के क्रम में प्रथम बार योगदान करने वाले सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों के वांछित/अर्हक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित संस्थान से उसकी जाँच कराकर सत्यापित करा लिया जाय।

Letter-33

3. सत्यापन के उपरांत प्रमाण-पत्र फर्जी पाये जाने की स्थिति में संबंधित नियोजित कर्मी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए नियमानुसार उनके विरूद्ध कार्रवाई सुनिशित किया जाय ।
4. सत्यापन के उपरांत प्रमाण-पत्र फर्जी पाये जाने की स्थिति में उनके सेवा काल के दरम्यान सरकार द्वारा वेतन मद में उन्हें उपलब्ध करायी गयी राशि की वसुली की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।
5. उपर्युक्त सभी कार्रवाई तीन माह के भीतर पूर्ण कर लिया जाय ।

उपर्युक्त निदेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित कर कृत कार्रवाई से विभाग को विहित प्रपत्र में प्रतिवेदित किये जाने की कृपा की जाय ।

<u>**अनु- यथोक्त ।**</u>

विश्वासभाजन
13.08.19.
(सी0 पी0 खंडूजा)
आयुक्त मनरेगा

विहित-प्रपत्र

(2)

संविदा के आधार पर नियोजित कार्यक्रम पदाधिकारियों के प्रमाण-पत्र सत्यापन से संबंधित प्रतिवेदन

जिला का नाम- ....

क्र0सं0	कार्यक्रम पदाधिकारी का नाम	नियोजन का वर्ष	जिला में योगदान की तिथि	योग्यता	प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले संस्थान का नाम	प्रमाण-पत्र की संख्या एवं वर्ष	सत्यापन के उपरांत प्रमाण-पत्र की स्थिति	प्रमाण-पत्र फर्जी पाए जाने पर उनके विरूद्ध की गयी कार्रवाई	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

उप विकास आयुक्त का
हस्ताक्षर एवं मुहर